



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 201350030039348
प्रमाणपत्र क्र० 042203012095

जारी दिनांक: 24/09/2020

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. MANTASHA NAAZ
स्व. श्री MOHD AKHTAR
श्रीमती SHAHANA PARVEEN
,NEAR PANI KI TANKI TEHSIL
SCHOOL MORADABAD



मुरादाबाद
मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की **मोमिन (अंसार)** जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. **MANTASHA NAAZ** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियमक्र०५७ में वया विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



लोकवर्णी के स्कॉर्च
ICSMOR085
बदर कम्प्यूनिकेशन
थाना गलशहीद रोड
मुरादाबाद ८९३६९२३२०३
Signature: Nitin Tewaria

जारी कर्ता केन्द्र: हमजा बदर, आई.-सी-एस-सी.

NITIN

Digitally Signed by NITIN
TEWATIA
O=U.P.GOVERNMENT,
OU=REVENUE,
S=UTTAR PRADESH

पद: हमजा बदर, केन्द्र प्रभारी

TEWATIA

स्थान: गलशहीद रोड थाना

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

गलशहीद, मुरादाबाद, Moradabad

डिजिटल हस्ताक्षरित

दिनांक: 24/09/2020

मुरादाबाद, मुरादाबाद

हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक: 24/09/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन करें फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।